

28/08/21

अधिवक्ता अपीलोट अनु। अपीलोट व उनके अधि-  
वक्ता को न्यायालय की ओर से बार-बार आवर्जित  
लगाने के बावजूद कोर्ट उपस्थित नहीं आया। लिहाजा  
पत्रावली अदम हाजिरी अदम फीरगी में खारिज  
की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद  
आवरयत कार्यवाही दायिल हुफर हो।

